राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 05 मार्च, 2018

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्रीमती किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगी :-

1- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 ; एवं

2- महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-37 के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री प्रध्युमन सिंह, सभापति, जनलेखा समिति, 2017-2018 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 2.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 255वां प्रतिवेदन ।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.8 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 256वां प्रतिवेदन ।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.3 एवं 3.11 वन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 257वां प्रतिवेदन ।

जारी..2..

4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.10 एवं 3.13 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 258वां प्रतिवेदन ।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.12 एवं 3.19 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 259वां प्रतिवेदन ।
6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2011-12 में समाविष्ट प्रतिवेदन संख्या-2 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.7.15 खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 260वां प्रतिवेदन ।

(II) श्री बनवारीलाल सिंघल, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2017-2018 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग, सूचना एवं जन सम्पर्क, मंत्रीमण्डल सचिवालय, उच्च शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कृषि विपणन, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2017-18 का 32वां प्रतिवेदन ;
2. गृह, नगरीय विकास एवं आवासन, आबकारी, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, सामान्य प्रशासन, उपनिवेशन, कृषि, परिवहन, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2017-18 का 33वां प्रतिवेदन ;
3. उद्योग, उपनिवेशन, ऊर्जा, कृषि विपणन, कार्मिक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, प्रशासनिक सुधार, परिवहन, भू-जल, महिला एवं बाल विकास, युवा मामले एवं खेल, वन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सार्वजनिक निर्माण, सिंचित क्षेत्र एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2017-18 का 34वां प्रतिवेदन ;
4. अल्पसंख्यक मामलात, आयुर्वेद, ऊर्जा, कृषि, कृषि विपणन, कारागार, ग्रामीण विकास रोजगार गारण्टी योजना, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जन अभाव अभियोग निराकरण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, डेयरी, तकनीकी शिक्षा(कृषि), नागरिक उड्डयन, पंचायती राज, पशुपालन, भू-जल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजकीय उपक्रम, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, श्रम एवं रोजगार एवं सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2017-18 का 35वां प्रतिवेदन ; एवं

जारी..3..

5. अल्पसंख्यक मामलात, आपदा प्रबन्धन, उपनिवेशन, ऊर्जा, कृषि विपणन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा शिक्षा, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, डेयरी, देवस्थान, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, वित्त, आबकारी, कारागार, निर्वाचन एवं भू-जल विभाग से संबंधित मामलों पर प्रश्न एवं संदर्भ समिति वर्ष 2017-18 का 36वां प्रतिवेदन ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री विवेक धाकड़, सदस्य, विधान सभा, जिला मुख्यालय भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ राजकीय बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के किशनगढ़-जयपुर खण्ड मार्ग पर स्थित बान्दरसिंदरी गांव के मुख्य चौराहे पर आवागमन हेतु एक नवीन ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री नवनीत लाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र घाटोल, जिला - प्रतापगढ़ की पंचायत समितियों के ग्रामों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(IV) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र आहोर की पंचायत समिति जालोर के अडवाड़ा से नांगणी गांवों को सड़क से जोड़ने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान

अनुदान की मांग संख्या- 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार एवं मतदान होगा ।

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

नोट – आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी ।

जारी..4..

6. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-3)

''वित्तीय वर्ष 2018-2019 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।''

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 28 फरवरी, 2018